कार्यालय– अंचल अधिकारी, गढ़वा

पत्रांक 579 / दिनांक 23.7.2020

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
गढ़वा

सेवा में,

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

विषयः– विविध वाद संख्या 04 / 2020–21 आवेदक श्री विजय कुमार कश्यप पिता–स्व0 लक्ष्मी प्रसाद कश्यप ग्राम–दिपुआं का प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु मूल अभिलेख का प्रेषण।

प्रसंग :– अपर समाहर्त्ता, गढ़वा के पत्रांक–93 / रा0 दिनांक–24.01.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विविध वाद संख्या 04 / 2020–21 आवेदक श्री विजय कुमार कश्यप पिता–स्व0 लक्ष्मी प्रसाद कश्यप ग्राम–दिपुआं का प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु मूल अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलंग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/7/20

अंचल अधिकारी
गढ़वा

28/8/2020

Scanned with CamScanner

,सूची–14 फर्म सं0–562

विविधवाद संख्या– 04/2020-21 (1)

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम– 129)

आदेश – पत्रक– ता0 .... से .... तक ।

जिला –गढ़वा विविध वाद सं0–04/2019-20 2020-21

केश का प्रकार– गैरमजरूआ मालिक भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने के संबंध में।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
26/2/20	अपर समाहर्त्ता, गढ़वा के पत्रांक–93/रा0 दिनांक–24.01.2020 द्वारा प्राप्त पत्र में संलग्न आवेदन में आवेदक श्री विजय कुमार कश्यप पिता–स्व0 लक्ष्मी प्रसाद कश्यप ग्राम–गढ़वा द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि हमलोग पांच भाई मिलकर ग्राम–दिपुआं के नीचे लिखे जमीन को भुखन खां पिता–दोसुदीन खां सा0–गढ़वा से केवाला द्वारा 1965 में खरीद किया है। हम पांचों भाई मिलकर आपसी परिवारिक बंटवारा .कर लिए है। आपसी बंटवारा के अनुसार एक दो भाई ने जमीन बिक्री कर दिया । मैं अपने हिस्से की जमीन को बिक्री करने के लिए तय करके खरीदारों से जरसमन भी प्राप्त कर लिया है। मैने केवाला लिखकर निबंधन कार्यालय में दाखिल किया। परन्तु निबंधन कार्यालय में अंचल से प्राप्त प्रतिबंधित सूची में यह जमीन बताया गया। प्रतिबंधित खाता संख्या–29 प्लॉट संख्या–134 रकबा–0.44 एकड़ जमीन कन्या उच्च विद्यालय के नाम पर दर्ज है। उस प्लॉट का पुरा रकबा–1.50 एकड़ है। हमलोगों ने 0.67 1/2 एकड़ जमीन खरीद किया है। 0.44 एकड़ जमीन विद्यालय में जाने के बाद भी शेष जमीन अन्य रैयत एवं हमलोगों के दखल–कब्जे में है। जबकि विद्यालय से हमलोगों की लगभग 500 फीट की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार प्लॉट प्रतिबंधित की सूची से होना उचित नहीं है। आवेदक द्वारा प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षके से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अंचल अधिकारी गढ़वा।	
13/6/20	अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–दिपुआं के खाता संख्या–29 प्लॉट संख्या–134 का स्थल पर तथा राजस्व से जांच किया। जांचोपरांत पाया गया कि ग्राम–दिपुआं के पेज न0 33/3 पर उपर्युक्त खाता प्लॉट का मांग विजय कुमार एवं अन्य के नाम पर 0.67 1/2 एकड़ भूमि का चलता था। वर्तमान में बिक्री के पश्चात 0.16 1/4 एकड़ भूमि का मांग चल रहा है। इसी खाता प्लॉट में बालिका विद्यालय के भूमि का मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–156/1 पर 0.44 एकड़ का मांग चलता है। स्थल जांच में पाया गया कि विजय कुमार के खाता संख्या–29 प्लॉट संख्या–134 रकबा–0.04 एकड़ भूमि विद्यालय के भूमि से काफी दूर है। विद्यालय अपनी भूमि पर चाहरदिवारी दे दिये है। आवेदक की भूमि लगभग 500 मीटर दूर है तथा इसके बाद भी बहुत मकान बना हुआ है। आवेदित भूमि एक ही खाता प्लॉट के चलते भूमि को प्रतिबंधित की सूची में डाल दिया गया है। जांचोपरांत पाया गया कि आवेदक विजय कुमार कश्यप पिता–लक्ष्मी प्रसाद के भूमि खाता संख्या–29 प्लॉट संख्या–134 रकबा–0.04 एकड़ भूमि को प्रतिबंधित भूमि से मुक्त किया जा सकता है।	

Scanned with CamScanner

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन का अवलोकन के पश्चात निम्न बिन्दुओं पर पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन का मांग किया गया :–

1. कृप्या स्पष्ट करे की भूमि की खतियानी प्रकृति क्या हैं ?
2. जो भूमि विद्यालय के प्रतिसिमन में है वो विद्यालय को कैसे प्राप्त हुआ

अंचल अधिकारी,
गढ़वा

अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन बिन्दुवार समर्पित किया गया जो निम्न प्रकार हैं :–

1. हल्का कार्यालय में खतियान उपलब्ध नहीं है। जिर्ण–शीर्ण होकर फट गया हैं जिस कारण खतियान की प्रकृति देना संभव नहीं है। वर्तमान में जब स्थल जांच किया तो उक्त भूमि पर मकान का पिलिंथ किया गया है जो पहले से अवस्थित है।
2. भूमि विद्यालय के परिसीमा से ~~विद्यालय~~ 500 फिट दूर है। उक्त भूमि से विद्यालय को कोई मतलब नहीं है।

उक्त भूमि खाता संख्या–29 रैयती खाते की भूमि है। इस भूमि में से आशिंक भाग पर खरीदी अनुसार स्कूल का दखल–कब्जा है जो आवेदक की भूमि से कोई लेना देना है। रैयत खाते की भूमि है।

राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं वर्णित खाता की भूमि से संबंधित लगान रसीद, केवाला, बंटवारानामा का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त पाया गया कि ग्राम–दिपुआं के खाता संख्या–29 प्लॉट संख्या–134 रकबा–0.04 एकड़ भूमि रैयती खाते की भूमि है परन्तु उक्त प्लॉट में स्कूल के दखल–कब्जा होने के कारण गैरमजरूआ भूमि प्रानकर प्रतिबंधित किया गया था।

विदित हो कि सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड रांची के ज्ञापांक–570 दिनांक–31.07.2018 एवं अपर समाहर्त्ता, गढ़वा के पत्रांक–1856 दिनांक–14.09.2018 द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–1350 दिनांक–22.10.2018 के द्वारा अंचल के सभी गैरमजरूआ भूमि को प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि की सूची अपर समाहर्त्ता, गढ़वा को भेजा गया है, जिसमें ग्राम–दिपुआं के वर्णित खाता की भूमि भी शामिल है।

अतः आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न राजस्व कागजात, केवाला, लगान रसीद एवं आपसी परिवारिक बटवारानामा तथा राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम– दिपुआं के खाता संख्या–29 प्लॉट संख्या–134 रकबा–0.04 एकड़ भूमि रैयती खाते की भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय हेतु अभिलेख उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार गढ़वा को भेजें।

लेखापित एंव संशोधित।

22/10/18

अंचल अधिकारी,
गढ़वा

22/10/18

अंचल अधिकारी,
गढ़वा

Scanned with CamScanner